फर्द अहकाम

(नियम–13)

अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम :–तालेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.04.2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे प्रकरण तहसीलदार तालेड़ा द्वारा राजस्थान उप निवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं बिकी) नियम, 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली मे नियमानुसार सुनवाई हेतु गैर खातेदारान को तलब किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 30.12.2024 को जवाब प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जवाब प्रकरण मे विचाराधीन आराजी दिनांक 14.04.1985 को बाबूलाल, सोहनलाल आ0 अमरनाथ नि0 अकतासा को आवंटित हुई थी। उक्त आवंटन का इन्द्राज नामा0 सं. 114 दिनांक 12.06.1986 से राजस्व रेकार्ड मे हुआ है। जवाब मे यह भी अंकित किया गया है कि आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बून्दी) द्वारा सनद संख्या 3302 दिनांक 22.05.1992 को जारी कर खातेदार अधिकार आवंटिति को प्रदत्त किये गये है। पत्रावली के अद्योपान्त अवलोकन से यह जाहिर आया कि आराजी आवंटिती को मिसल संख्या 235/85 दिनांक 14.04.1985 से कीमतन आवंटित हुई है। प्रकरण राजस्थान उप निवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं बिकी) नियम, 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार " यदि किसी समय यह मालूम हो जाता है कि इन नियमों के अधीन किया गया सरकारी भूमि का आवंटन आवंटिती द्वारा पेश किये गए आवेदन मे अथवा शपथ–पत्र मे अथवा किसी अन्य दस्तावेज मे दिये गए तथ्यों के गलत विवरण पर हुआ है तो आवंटन प्राधिकारी ऐसे आवंटन को निरस्त करने का आदेश दे सकेगा और भूमि के लिए कोई प्रतिकर दिए बिना उसमें पुनः प्रवेश करने और उसका कब्जा लेने का कोई भी आदेश दे सकेगा।" विचाराधीन प्रकरण मे तहसीलदार तालेड़ा द्वारा राज0 उप निवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं बिकी) नियम, 1957 के नियम 22 के तत्वाधान मे ऐसा कोई तथ्य अंकित नही किया है। हस्तगत पत्रावली मे सत्यापित सनद संख्या 3302 दिनांक 22.05.1992 भी जवाब के साथ संलग्न है। ऐसी स्थिति मे विचाराधीन पत्रावली आगे चलाये जाने या आवंटन के कम में कोई निर्णय पारित किये जाने का विधिक औचित्य नही है। अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तालेड़ा को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	